भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 16/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. (अ)-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, उत्पाद शुल्केय माल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3304 के अंतर्गत आते हैं, जो कि खुदरा पैकेजे में बिकता है, एवं जिनपर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4ए का प्रावधान लागू नहीं होता है, के टैरिफ मूल्य का,का निर्धारण करती है जो कि ऐसे माल के घोषित खुदरा विक्रय मूल्य घटा ऐसे माल के खुदरा विक्रय मूल्य की शमन राशि, जिसकी घोषणा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), 24 दिसम्बर, 2008 [सा.का.नि. 882 (अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2008] में की गई है, के समतुल्य है।

स्पष्टीकरण-1 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ''खुदरा बिक्री मूल्य'' का अभिप्राय ऐसे अधिकतम मूल्य से है जिसपर उत्पाद शुल्केय वस्तुओं को पैकेज्ड रूप में अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाता है और इसमें सभी प्रकार के कर, स्थानीय या अन्य प्रकार के, भाड़ा, परिवहन प्रभार डिलरों को दिये जाने वाले कमीशन तथा अन्य प्रभार जो कि विज्ञापन, डिलेवरी पैकिंग फारवडिंग तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों में आते है, शामिल है और मूल्य ही ऐसी बिक्री का एक मात्र प्रतिफल होता है।

स्पष्टीकरण-2 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ''खुदरा पैकेज'' का अभिप्राय ऐसे पैकेज से होता है जिसमें वे उत्पाद शुल्केय वस्तुएं आती है जोकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3304 के अंतर्गत आते है और जिनको इनमें निहित माल के उपभोग के उद्देश्य से अंतिम उपभोक्ता को खुदरा बिक्री के रूप में बेचा जाना होता है और इनमें आयातित पैकेज भी शामिल है:

बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ 'अंतिम उपभोक्ता' में औद्योगिक या संस्थागत उपभोक्ता को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(फा.सं. 345/2/2013-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार